कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 145/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 15.04.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 15.04.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस- नोट, दिनांक 15.04.2026

थाना- बरदह, जनपद आजमगढ़

अवैध तमंचा-कारतूस व चोरी की मोटर साइकिल के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

रात्रि गश्त/चेकिंग के दौरान थाना बरदह पुलिस को मिली महत्वपूर्ण सफलता

अभियुक्तों ने जनपद आजमगढ़ न्यायालय परिसर से चोरी की थी मोटर साइकिल

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बरदह पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। दिनांक 14.04.2026 को उ0नि0 उमेश चन्द यादव मय हमराह द्वारा रात्रि गश्त/चेकिंग के दौरान त्रिवेणी मोड़ पर संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक मोटर साइकिल पर सवार दो व्यक्तियों को संदिग्ध प्रतीत होने पर रोककर तलाशी ली गई, जिसमें अभियुक्त अंकित यादव उर्फ मुनका पुत्र श्याम कन्हैया निवासी ग्राम दाउदपुर थाना केराकत जनपद जौनपुर उम्र लगभग 24 वर्ष के पास से 01 अदद नाजायज तमंचा .303 बोर व 01 मिस कारतूस .303 बोर तथा दूसरे अभियुक्त आकाश राजभर पुत्र शिव प्रसाद निवासी ग्राम गौरा डिहवा थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर के पास से 200 रुपये नगद बरामद हुआ।

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि बरामद मोटर साइकिल को दोनों ने मिलकर सितम्बर 2024 में जनपद न्यायालय आजमगढ़ परिसर से चोरी किया था। उक्त के संबंध में थाना बरदह पर मु0अ0सं0 131/26 धारा 317(2), 341(2) बीएनएस व 3/7/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्तों को समय करीब 03:40 बजे गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. अंकित यादव उर्फ मुनका पुत्र श्याम कन्हैया निवासी ग्राम दाउदपुर थाना केराकत जनपद जौनपुर
2. आकाश राजभर पुत्र शिव प्रसाद निवासी ग्राम गौरा डिहवा थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर

बरामदगी–

01 अदद नाजायज तमंचा .303 बोर, 01 मिस कारतूस .303 बोर, 01 चोरी की मोटर साइकिल, 200/- रुपये नगद

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0 131/26 धारा 317(2), 341(2) बीएनएस व 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

उ0नि0 उमेश चन्द यादव, का0 अनिल सरोज, हे0का0 कमलेश, का0 राजेन्द्र कुशवाहा थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक– 15.04.2026

थाना- देवगांव, जनपद आजमगढ़

नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद कर अपहरणकर्ता अभियुक्त गिरफ्तार

सर्विलांस सेल की सटीक लोकेशन ट्रैकिंग से मध्य प्रदेश से हुई बरामदगी

थाना देवगांव पुलिस व स्थानीय पुलिस के समन्वय से सफल कार्यवाही

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना देवगांव पुलिस को सराहनीय सफलता प्राप्त हुई। वादी द्वारा थाना देवगांव पर दी गई तहरीर के आधार पर यह अवगत कराया गया था कि उसकी नाबालिग पुत्री मंदिर में पूजा करने गई थी, जो वापस घर नहीं लौटी। इस सूचना पर तत्परता दिखाते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 34/2026 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 विनय कुमार सिंह द्वारा प्रारम्भ की गई।

विवेचना के दौरान सर्विलांस सेल की सहायता से पीड़िता की लोकेशन ट्रैक की गई, जिसके आधार पर दिनांक 14.04.2026 को उ0नि0 विनय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा जनपद छतरपुर (मध्य प्रदेश) के थाना भगवां क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चुनऊ खेरा में स्थानीय पुलिस के सहयोग से दबिश देकर पीड़िता को सकुशल बरामद किया गया। मौके से अभियुक्त दीपक लोधी पुत्र हकम लोधी निवासी ग्राम चुनऊ खेरा पो0 पनवारी थाना भगवां जनपद छतरपुर (मध्य प्रदेश) उम्र करीब 23 वर्ष को समय करीब 15:10 बजे गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात अभियुक्त को दिनांक 15.04.2026 को मा0 न्यायालय आजमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

उक्त कार्यवाही से जनपद पुलिस की तत्परता, तकनीकी दक्षता एवं अंतरराज्यीय समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत हुआ है।

गिरफ्तार अभियुक्त–
दीपक लोधी पुत्र हकम लोधी निवासी ग्राम चुनऊ खेरा पो0 पनवारी थाना भगवां जनपद छतरपुर (मध्य प्रदेश), उम्र करीब 23 वर्ष

आपराधिक इतिहास–
मु0अ0सं0 34/2026 धारा 137(2) बीएनएस थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 विनय कुमार सिंह थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
2. का0 पुष्पेन्द्र यादव थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

जनपद पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु निरंतर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक- 15.04.2026

थाना- अतरौलिया, जनपद- आजमगढ़

नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

मुकदमा पंजीकरण के उपरांत त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने किया सफल अनावरण

दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया

जनपद आजमगढ़ के थाना अतरौलिया क्षेत्रांतर्गत दिनांक 07.03.2026 को वादी द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित शिकायत दी गई कि दिनांक 06.03.2026 को उसकी नाबालिग पुत्री को अभियुक्त अज्जू द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया। जब वादी द्वारा अभियुक्त के घर शिकायत की गई तो उसके मामा सिनोद द्वारा गाली-गलौज करते हुए भगा दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0- 0085/26 धारा 137(2)/87/352 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त विजय कुमार द्वारा भी पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया, जिसके फलस्वरूप मुकदमे में धारा 64(1) बीएनएस व ¾(2) पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई।

उक्त प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना अतरौलिया पुलिस द्वारा सक्रियता दिखाते हुए दिनांक 15.04.2026 को उ0नि0 जफर अयूब मय हमराह द्वारा अभियुक्त 1. अजय उर्फ अज्जू पुत्र उमेश कन्नौजिया निवासी इन्दईपुर हथिनाराज थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर उम्र 19 वर्ष एवं 2. विजय कुमार पुत्र सतिराम निवासी ग्राम छितौनी खास थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष को ग्राम छितौनी से समय करीब 09:20 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है।

पंजीकृत अभियोग – मु0अ0सं0 0085/26 धारा 64(1), 137(2)/87/352 बीएनएस व ¾(2) पॉक्सो एक्ट थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. अजय उर्फ अज्जू पुत्र उमेश कन्नौजिया निवासी इन्दईपुर हथिनाराज थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर उम्र 19 वर्ष
2. विजय कुमार पुत्र सतिराम निवासी ग्राम छितौनी खास थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –
उ0नि0 जफर अयूब, हे0का0 मनोज कुमार यादव, का0 राजू यादव थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक- 15.04.2026
थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

थाना मुबारकपुर पुलिस द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

त्वरित कार्रवाई करते हुए वाहन चोरी की घटना का सफल अनावरण

अभियुक्त चोरी की मोटरसाइकिल बेचने की फिराक में थे, एक मोटरसाइकिल बरामद

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मुबारकपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 12.03.2026 को वादी संजय सिंह पुत्र कमला सिंह निवासी ग्राम ओझौली पोस्ट पिचरी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दी गई कि दिनांक 11.03.2026 को कोहिनूर पैलेस रोडवेज मुबारकपुर के सामने से उनकी मोटरसाइकिल अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गई। उक्त सूचना के आधार पर थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0- 096/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

विवेचना के क्रम में दिनांक 15.04.2026 को उ0नि0 कमला सिंह यादव मय हमराह उ0नि0 राघव राम व उ0नि0 नीरज शुक्ला द्वारा अशरफिया यूनिवर्सिटी के पास चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि चोरी की मोटरसाइकिल के साथ दो व्यक्ति भटौरा अंडरपास भट्ठे के पास खड़े हैं और वाहन को बेचने की फिराक में हैं। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर अभियुक्त 1. अमित कन्नौजिया पुत्र अरविन्द कन्नौजिया निवासी अबाडी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष तथा 2. लखंदर उर्फ टंटन पुत्र रामदरस यादव निवासी कादीपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को समय करीब 08:19 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद की गई। अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

पंजीकृत अभियोग– मु0अ0सं0- 096/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी– 01 अदद मोटरसाइकिल (चोरी की)

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. अमित कन्नौजिया पुत्र अरविन्द कन्नौजिया निवासी अबाडी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष
2. लखंदर उर्फ टंटन पुत्र रामदरस यादव निवासी कादीपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास –
अमित कन्नौजिया के विरुद्ध पूर्व में थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 348/2022 धारा 380, 411 भादवि पंजीकृत है।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम –
उ0नि0 कमला सिंह यादव, उ0नि0 राघव राम, उ0नि0 नीरज शुक्ला मय हमराह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक- 15.04.2026
थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़

अम्बेडकर जयंती की तैयारी के दौरान मारपीट में घायल व्यक्ति की मृत्यु के मामले में अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बिलरियागंज पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार

घटना में प्रयुक्त आरोपी को न्यायालय भेजा गया

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बिलरियागंज पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 14.04.2026 को वादी प्रदीप कुमार पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम नसीरपुर फतेहपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दी गई कि उनके पिता अम्बेडकर जयंती मनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी उसी गांव के निवासी अभियुक्त सुरंजन कुमार द्वारा इसका विरोध करते हुए रास्ते में रोककर मारपीट की गई तथा जोरदार धक्का दिया गया, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई। घायल अवस्था में उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0- 94/2026 धारा 105 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दिनांक 15.04.2026 को उ0नि0 इसरार अहमद खान मय हमराह द्वारा अभियुक्त सुरंजन कुमार पुत्र रामचरन राम निवासी ग्राम नसीरपुर फत्तेहपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 38 वर्ष को गुलवा नहर पुलिया के पास से समय करीब 12:05 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

पंजीकृत अभियोग– मु0अ0सं0- 94/2026 धारा 105 बीएनएस थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त–
सुरंजन कुमार पुत्र रामचरन राम निवासी ग्राम नसीरपुर फत्तेहपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 38 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 इसरार अहमद खान थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
2. का0 छट्टू साहनी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
3. का0 विरेन्द्र कुमार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक- 15.04.2026
थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़

थाना अहरौला पुलिस द्वारा 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, 10 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद

मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध अभियान में बड़ी सफलता

बरामदगी के आधार पर एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अहरौला पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 15.04.2026 को थानाध्यक्ष अहरौला अमित कुमार मिश्र मय हमराह तथा चौकी प्रभारी माहुल उ0नि0 यश सिंह पटेल मय हमराह द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान ग्राम कटाईचवर नहर फाटक के पास से 01 बैग में 10 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा के साथ दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों में 1. अक्षय कुमार पुत्र स्व0 सुदर्शन निवासी पंचखण्डा थाना मसरख जनपद छपरा (बिहार) उम्र करीब 23 वर्ष एवं 2. रवि कुमार पुत्र दशरथ राम निवासी गंडामन थाना मसरख जनपद छपरा (बिहार) उम्र करीब 24 वर्ष शामिल हैं। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना अहरौला पर मु0अ0सं0- 95/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

बरामदगी – 10 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा

पंजीकृत अभियोग – मु0अ0सं0- 95/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. अक्षय कुमार पुत्र स्व0 सुदर्शन निवासी पंचखण्डा थाना मसरख जनपद छपरा (बिहार) उम्र करीब 23 वर्ष
2. रवि कुमार पुत्र दशरथ राम निवासी गंडामन थाना मसरख जनपद छपरा (बिहार) उम्र करीब 24 वर्ष

आपराधिक इतिहास –
अक्षय कुमार

1. मु0अ0सं0 571/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना गगहा जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 95/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

रवि कुमार

1. मु0अ0सं0 95/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –
थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्र थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
उ0नि0 यश सिंह पटेल, चौकी प्रभारी माहुल थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

हे0का0 इन्द्रमणि पटेल थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
का0 पवनेश कुमार थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
का0 लोकेश प्रताप सिंह थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
का0 प्रवीण कुमार थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट, दिनांक 15.04.2026
थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़

अश्लील फोटो व विडियो बनाकर ब्लैक मेल करने व डराने वाले अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

घटना का विवरण– दिनांक 15.04.2026 को वादी मुकदमा अभय कुमार शाही पुत्र नरेन्द्र शाही निवासी तारामंडल भरत चौराहा थाना रामगढ़ जनपद गोरखपुर द्वारा थाना सिधारी पर तहरीर दिया गया कि नाम बदलकर अपने मोबाईल से व्हाट्सअप/फेसबुक/इन्स्टाग्राम पर आईडी बनाकर एवं फोटो बदलकर महिलाओ एवं नाबालिग लड़कियों से आडियो एवं वीडियो काल करके अश्लील फोटो एवं विडियो बनाकर उनको ब्लैक मेल कर अभियुक्तों 1. नैनुद्दीन पुत्र मैनुद्दीन, 2. महमूद आलम पुत्र मोहीद्दीन निवासीगण गोरखपुर द्वारा धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है जिसके सम्बन्ध में थाना सिधारी पर मु0अ0सं0- 123/2026 धारा 319(2)/318(4) बीएनएस एवं धारा 67 आई0टी0 एक्ट व 3/5 उ0प्र0 धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम बनाम 1. नैनुद्दीन पुत्र मैनुद्दीन, 2. महमूद आलम पुत्र मोहीद्दीन निवासीगण गोरखपुर पंजीकृत कर किया गया तथा

पंजीकृत अभियोग - मु0अ0सं0- 123/2026 धारा 319(2)/318(4) बीएनएस एवं धारा 67 आई0टी0 एक्ट व 3/5 उ0प्र0 धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम